FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

मुकाम............................

अज अदालत..

बनाम..........................

....सन्...

किस्म मुकदमा......................................नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
31/12/25	वकुलाप उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी परिवार के साथ खाने कमाने बाहर चले जाने के कारण वह अपील की पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था, अपील दिनांक 06/6/22 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। अपील में प्रार्थी जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहा था। इसलिए उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है। अपील खारिज होने की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 14/6/23 को हुई। तब आर्डरशीट की नकल दिनांक 26/6/23 को प्राप्त होने पर यह प्रार्थनापत्र दिनांक 25/7/23 को पेश किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि वकील अप्रार्थीगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी अवधि बाधित है, क्योंकि दिनांक 6/6/22 को अपील खारिज हो जाने के बाद अपीलांट या इनके अभिभाषक द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर अपनी अपील मे आगामी पेशी की जानकारी नहीं ली गई हो, यह विश्वसनीय नहीं है। एक वर्ष बाद प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो मियाद बाहर होने से खारिज किया जावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील संख्या 19/2014 बउनवान गोपाललाल बनाम जडावबाई वगै० में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07-10-14 को निर्णय पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा ADC कोटा में अपील दायर की गई। जो स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 7-10-14 अपास्त करते हुये प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। उक्त अपील इस न्यायालय में पुनः 29/2018 पर दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली पर वकील अपीलांट द्वारा बार-बार अवसर चाहा गया। न्यायहित में बहस हेतु पुनः अंतिम अवसर दिया जाकर पेशी दिनांक 06/6/22 नियत की गई, किन्तु नियत पेशी पर अपीलांट या उनके अभिभाषक के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। अपीलांट की ओर से एक वर्ष गुजर जाने के बाद दिनांक 14/6/23 को अपील पुनः नंबर पर लेने बाबत हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश किया गया। प्रार्थनापत्र में विलम्ब के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया। ऐसे में प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रा०पत्र प्रार्थी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। अपील पत्रावली वापस जमा करवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावें। sd/ जिला कलेक्टर, बून्दी	